न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2021 बउनवानी मनमोहन मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अ0 चुनाव अनुभाग
पुत्र मूलचन्द मीना, निवासी बी–1 पथ नम्बर–4, जमना नगर सोडाला जयपुर–302019

GCMS No-2021/86 **On line Appeal No- 321680778590868**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
14.7. 2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. ग्राम पंचायत सेलू पंचायत समिति सवाईमाधोपुर, राजस्थान के लिए पंचायत चुनाव,2020 में ग्राम पंचायत सेलू मे सरपंच व पंच के पद हेतु भरे गये समस्त नोमिनेशन फार्म की प्रति उपलब्ध करावे।
2. दो से अधिक संतान होने के बावजूद झूठें शपथ पत्र देकर चुनाव लडने वाले प्रत्यासियो पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक निर्वाचन/सुकाअ/2021/955 दिनांक 14.7.2021 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना कुल 174 पृष्ठों की उक्त पत्रांक 955 दिनांक 14.7.2021 से भिजवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 2 के क्रम में कोई शिकायत प्राप्त नही होने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना कुल 174 पृष्ठो की प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को भिजवाई जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 के संबंध मे वस्तुस्थिति [illegible] है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी चुनाव द्वारा अपीलान्ट को उक्त सू[illegible]नियम की तय समय सीमा के उपरान्त भिजवायी गयी है। अत[illegible] को निर्देशित किया जाता है भविष्य में उक्त अधिनि[illegible] वाले प्रार्थना पत्रों [illegible]यत समयावधि में निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित क[illegible] उक्त निर्देश के साथ [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:49 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर